नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण हरनारायण, अशोक, ठाकुरदास सहित एवं दलवीर की ओर से श्री राजवीर गुर्जर अधि.।

फरियादी / आवेदक बेटूराम, राखी, सुमन सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेत् नियत है।

फरियादी / आवेदक बेटूराम, राखी, सुमन, निवासी :— ग्राम उझावल, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड ने उसके अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र. स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत बेटूराम, राखी, सुमन अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादीगण को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उनके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई नहीं है। उभयपक्ष शेष फरियादी / आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी अशोक जाटव से जब्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

- 01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
- 02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> <u>जिला भिण्ड</u>